भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1703

(जिसका उत्तर सोमवार, 2मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है)

आयकर के लंबित मामले

†1703 डॉ. ए. चेल्लाकुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में कर विवाद संबंधी कितने मामले विचाराधीन हैं और कितने मामलों में अपील विचाराधीन है और मुकदमेबाजी में कितनी धनराशि अटकी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं;और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और सरकार ने कितनी धनराशि की वसूली की है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) : विभिन्न मंचों पर विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर अपील के संबंध में मुकदमेबाजी के तहत लम्बन और अटकी हुई धनराशि इस प्रकार है:

वित्त वर्ष		आईटीएटी**	एचसी*	एससी*
2016-17	लम्बन	92,386	38,481	6,357
	अटकी हुई धनराशि (करोड़ में)	#	2,87,817	8,047
2017-18	लम्बन	92,817	39,066	6,224
	अटकी हुई धनराशि (करोड़ में)	#	1,96,053	11,772
2018-19	लम्बन	92,205	38,758	6,354
	अटकी हुई धनराशि (करोड़ में)	#	1,36,465	23,560

जारी.....2/-

स्रोत:

*आरएंडएस निदेशालय, प्रधान डीजीआईटी (प्रशा. एवं टीपीएस)

** सेंट्रल रजिस्ट्री, आईटीएटी, मुम्बई

सेंट्रल रजिस्ट्री, आईटीएटी, मुम्बई द्वारा अटकी हुई धनराशि के ब्यौरों का रख-रखाव नहीं किया जाता।

(ख) एवं (ग): आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मंचों पर लंबित अपीलों पर निर्णय लिया जाना है। इसलिए, मामलों के शीघ्र समाधान का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, मुकदमेबाजी प्रबंधन के एक उपाय के रूप में, विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा का संशोधन 11.07.2018 को सीबीडीटी केपरिपत्र 3 के द्वारा किया गया था, जिसमें दिनांक 08.08.2019 के 2019 के परिपत्र 17 के द्वारा निम्नानुसार और वृद्धि की गई थी:

अपीलीय मंच	परिपत्र 3/2018 के अनुसार मौद्रिक सीमा (रुपए)	परिपत्र 17/2019 के अनुसार संशोधित मौद्रिक सीमा (रुपए)
आईटीएटी	20 लाख	50 लाख
उच्च न्यायालय	50 लाख	1 करोड़
सर्वोच्च न्यायालय	1 करोड़	2 करोड़

उपरोक्त परिपत्रों के परिणामस्वरूप विभागीय अपीलों की वापसी निम्न तालिका के अनुसार है:

अपीलीय मंच	परिपत्र 3/2018 के अनुसार वापसी	परिपत्र 17/2019 के अनुसार वापसी
आईटीएटी	6985	6127
उच्च न्यायालय	7093	6156
सर्वोच्च न्यायालय	959	1104
कुल	15,037	13,387

****